15/03/2021

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। बावजुद सम्यक तामील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लायी जा चुकी हैं। बहस पूर्व सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादी के नाम राजस्व ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तह. नीमकाथाना में खातेदारी भूमि हैं। वादी का सही नाम श्याम सुन्दर सैनी पुत्र प्रभातीलाल हैं। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सुभाष पुत्र परभाता दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनमें वादी का सही नाम श्यामसुन्दर पुत्र प्रभातीलाल है। वाद पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में बतौर साक्ष्य सह खातेदारान मुलचन्द पुत्र प्रभातीलाल एवं प्रभाती देवी पत्नी प्रभातीलाल के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदारान मुलचन्द पुत्र प्रभातीलाल एवं प्रभाती देवी पत्नी प्रभातीलाल के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सुभाष पुत्र परभाता अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही नाम श्यामसुन्दर पुत्र प्रभातीलाल हैं की पुष्टि मतदाता मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्रकी प्रतियां एवं बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, स्वंय एवं साक्ष्य गवाहान के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार

Scanned with CamScanner

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

हल्का पाटन तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 117 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम **सुभाष पुत्र परभाता** के स्थान पर **श्यामसुन्दर पुत्र प्रभातीलाल** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। निर्णयानुसार पर्चा डिकी मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर कोर्ट
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
सहायक कलक्टर (F.T)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner